STAFF SELECTION COMMISSION STAFF SELECTION COMMISSION





STAFF

COMMISSION

COMMISSION STAFF

SELECTION

STATE SELECTION COMMISSION STATE SELECTION COMMI



Ś	चरण-। / Tier-।		विषय / Subject	प्रश्नों की संख्या / No. of Questions	अधिकतम अंक / Max. Marks	
SCION STAFF S		(i)	सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति / General Intelligence and Reasoning	50	50	
	(वस्तुनिष्ठ प्रकार) (Objective Type)	(ii)	सामान्य जानकारी / General Awareness	50	50	
		(iii)	भाग-(ख) सामान्य इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) / Part-B General Engineering (Electrical)	100	100	:


अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश

- 1. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेशपत्र में दिए गए रिपोर्टिंग/प्रवेश-समय में निर्धारित समय स्लॉट के अनुसार केंद्र पहुंचें।
- 2. अभ्यर्थी ध्यान दें कि किसी भी परिस्थिति में या किसी भी कारण से प्रवेश-समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश-समय के बाद गेटों को हर हाल में बंद कर दिया जाएगा।
- 3. अभ्यर्थी परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग के समय सदैव निम्नलिखित अपने साथ लाएं :
 - (क) प्रवेश-पत्र
 - (ख) पासपोर्ट आकार की अपनी नवीनतम रंगीन फोटों की दो प्रतियां (3 सेमी x 3.5 सेमी)।
 - (ग) स्पष्ट फोटो वाला मूल रूप में **कम से कम एक फोटोयुक्त वैध पहचान प्रमाण** (अपेक्षित फोटो पहचान-प्रमाण जैसे कि 1. पासपोर्ट, 2. आधार कार्ड / ई आधार का प्रिंट आउट, 3. ड्राइविंग लाइसेंस, 4. केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्जजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया सेवा पहचान-पत्र, 5. विश्वविद्यालय / कॉलेज / स्कूल द्वारा जारी किया गया पहचान-पत्र, 6. मतदाता पहचान-पत्र , 7. पैन कार्ड, 8. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया भूतपूर्व सैनिक निर्मुक्ति पुस्तक, 9. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान प्रमाण ।
 - (घ) यदि फोटो पहचान पत्र पर पूर्ण जन्मितिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्म-ितिथ के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज लाना होगा जिसमें जन्म ितिथ वही हो जो प्रवेश-पत्र में अंकित है (जैसे-सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी 10वीं कक्षा का प्रवेशपत्र/पास प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) । यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म ितिथ और जन्मितिथ के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
 - (ड.) पारदर्शी पानी की बोतल।
- 4. परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी कारण से परीक्षा समाप्त होने के समय से पहले परीक्षा लैब को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी परीक्षा अधिकारियों की अनुमित के बिना लैब छोड़ देता है, तो उसे परीक्षा लैब में फिर से प्रवेश करने की अनुमित नहीं दी जाएगी और उसकी अभ्यर्थिता रह्द कर दी जाएगी।
- 5. अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट स्थल पर ही परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी।
- 🧜 6. अथ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम एक दिन पहले परीक्षा स्थल पर जाएं ताकि वे परीक्षा की तारीख को समय पर परीक्षा स्थल पर पहुंच सकें।
- 👔 7. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे एक से अधिक बार परीक्षा में उपस्थित न हों। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी ।
- 8. अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता विशुद्ध रूप से अनंतिम है। यह सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी स्वयं को संतुष्ट कर लें कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- 9. परीक्षा लैब में निषिद्ध वस्तुएं, जैसे- घड़ी, किताबें, पेन, पेपर चिट, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स (मोबाइल फोन, ब्लूट्रथ डिवाइस, हेड फोन, पेन / बटनहोल / स्पाई कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि) लाने की सख्त मनाही है। । यदि परीक्षा लैब में किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वस्तु पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और उसके खिलाफ कानूनी / आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। मौजूदा नियमों के अनुसार, वह भविष्य में आयोग की आयोजित होने वाली परीक्षाओं में उपस्थित होने से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।
- 10. अभ्यर्थियों को नोज़-पिन, कंगन, झुमके , चार्म्स (charms), कड़ा आदि जैसी वस्तुओं को पहनने से बचना चाहिए । यदि किसी व्यक्ति को धर्म/रीति-रिवाजों के कारण विशिष्ट पोशाक पहनने की आवश्यकता होती है, तो उनकी तलाशी में अधिक समय लग सकता है और इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर जल्दी रिपोर्ट करना चाहिए।
- 11. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल में बैग और निषिद्ध वस्तुएं न लाएं । यदि वे ऐसी कोई भी वस्तु लाते हैं, तो उन्हें ऐसी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी। आयोग ऐसी किसी भी वस्तु की अभिरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 12. रफ़ कार्य के लिए पेन और पेपर परीक्षा लैब में दिए जाएंगे।
- 13. सभी परीक्षा लैब्स वीडियो निगरानी के अधीन हैं।

MISSION STAFF SELECTION COMMISSION

- 14. अभ्यर्थियों को दी गई कंप्यूटर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी (टाइमर) उपलब्ध रहेगी
- 15. अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग न करें और परीक्षा शुरू होने पर और इसकी पूरी अवधि के दौरान एक दूसरे से बात नहीं करें।
- 16. अभ्यर्थी को हस्त संचालित मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) के जरिए संपर्क रहित तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
- 17. अभ्यर्थी को परीक्षा अधिकारियों (केंद्र पर्यवेक्षक/परीक्षक आदि) द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
- 18. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे स्पष्ट बाएं अंगूठे का निशान (एलटीआई), अपनी चल रही लिखावट में प्रमाणन विवरण और प्रवेश प्रमाणपत्र की आयोग की प्रति पर हस्ताक्षर प्रदान करें।
 19. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन में बाधा उत्पन्न करता है या परीक्षा स्थल पर गड़बड़ी करता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। इस प्रकार का अभ्यर्थी आयोग की भावी परीक्षाओं से वंचित होने के लिए भी उत्तरदायी होगा और उसके खिलाफ कानूनी/आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। ध्यान दिया जाए कि यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थियों के उकसाने के कारण परीक्षा में व्यवधान हुआ, तो परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं की जागी।
- 20. यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण या किसी अन्य कारण से परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं होती है या बीच में बाधित होती है, तो अभ्यर्थियों को परीक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। समस्या का समाधान होने तक उन्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। यदि परीक्षा पूरी नहीं होती है तो आयोग उक्त मामले में उचित कार्रवाई करेगा व निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा एवं अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा।
- 21. अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया जाता है कि किसी भी कारण से परीक्षा में व्यवधान, जैसे- गंभीर/मामूली तकनीकी बाधा या सर्वर की धीमी गति / सर्वर का संपर्क न रहना आदि होने की स्थिति में उनके परीक्षा के समय की किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, जिसके वे हकदार हैं।
- 22. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें परीक्षा के दौरान कोई अनियमितता दिखाई देती है तो वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय / आयोग को इसकी सुचना दें । ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
- 23. पात्र शा.दि. अभ्यर्थी प्रति घंटे 20 मिनट के पूरक समय और प्रलिपिक की सहायता के हकदार हैं।
- 24. दृष्टिहीनता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात प्रभावित लोगों का छोड़कर अन्य शा.दि. अभ्यर्थियों, जिन्होंने अपने आवेदन पत्र में प्रलिपिक की सुविधा का विकल्प चुना है, उन्हें प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाने के लिए परीक्षा के नोटिस के अनुसंध-। (एनेक्सर-।) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 25. यदि अभ्यर्थी अपने प्रलिपिक का विकल्प देता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए । अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे अभ्यर्थियों को **अनुबंध-॥ (एनेक्सर-।।)** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार परीक्षा देने के समय अपने प्रलिपिक के ब्योरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । इसके अलावा प्रलिपिक को परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की (पैरा 3 पर दी गई सूची के अनुसार) मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी । **अनुबंध-॥ (एनेक्सर-।।)** पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाएगी ।
- 26. शा.दि. अभ्यर्थी द्वारा व्यवस्थित प्रलिपिक को इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए, अन्यथा दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- 27. एकाक्ष (एक आंख वाला) अभ्यर्थी और आशिंक रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति जो आवर्धक लैंस से या उसके बिना सामान्य प्रश्न-प्रत्र पढ़ सकते हैं और आवर्धक लैंस की सहायता से उत्तर अंकित करना चाहते है, उन्हें परीक्षा कक्ष में 🛱 आवर्धक लैंस का प्रयोग करने की अनुमति होगी और उन्हें प्रलिपिक की सुविधा लेने का हक नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में अपना आवर्धक लैंस लाना होगा।
- 28. यदि कोई अभ्यर्थी नशे की हालत में पाया जाता है तो उसे परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 29. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी संदेह या स्पष्टीकरण के मामले में वे आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से या प्रवेश-पत्र में दर्शाए गए हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से संपर्क करें।

-----Please See Next Page ------





- ## PRESECTION COMMISSION STAFF SELECTION COMMIS